स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

विज्ञप्ति
गैर–सरकारी, विशिष्ट श्रेणी एवं अन्य विद्यालयों के डाटाबेस अपडेट किए जाने हेतु

1. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सभी विद्यालयों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं का डाटाबेस शैक्षिक सत्र 2016–17 में तैयार करवाया गया था जिसे शैक्षिक सत्र 2017–18 में अपडेट किया जाना है।
2. डाटाबेस हेतु सभी विद्यालयों द्वारा सूचनाऐं दिया जाना अनिवार्य (Mandatory) है।
3. राज्य सरकार के निर्णयानुसार समस्त सूचनायें प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल www.rajpsp.nic.in पर विद्यालयों द्वारा स्वयं के स्तर से ऑनलाइन भरी जायेगी।
4. **राज्य सरकार के अधीन संचालित सरकारी विद्यालयों को छोड़कर राज्य में स्थापित अन्य समस्त विद्यालयों यथा गैर–सरकारी विद्यालय, विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय (केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल्स), आर्मी स्कूल्स, एटोमिक एनर्जी सेन्ट्रल स्कूल्स, मदरसा व अन्य विद्यालयों का डाटाबेस प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल www.rajpsp.nic.in पर अपडेट किया जाना है।**
5. **वेबपोर्टल पर विद्यालयों का पंजीयनः–** जो विद्यालय इस वेबपोर्टल पर पहले से पंजीकृत हैं उन्हें पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। यह विद्यालय अपने पी.एस.पी. कोड व पासवर्ड के माध्यम से सीधे ही लॉगिन कर विद्यालय एवं बालक–बालिकाओं की सूचनाओं को प्रविष्ट कर सकते हैं। **वे विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल पर पहले से पंजीकृत नहीं हैं वह विद्यालय नवीन पंजीयन हेतु वेबपोर्टल पर उपलब्ध आवेदन प्रारूप में अपना आवेदन रा.प्रा.शि.प, शिक्षा संकुल में भेज दे तथा ई–मेल आईडी rajpsphelp@gmail.com पर भी प्रेषित कर दें। पंजीयन के बाद लॉगिन आईडी व पासवर्ड संस्था प्रधान के मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा भेज दिया जाएगा।**
6. नवीन पंजीकरण वाले समस्त विद्यालयों को प्रथम बार लॉगिन करने पर अपना नया पासवर्ड अनिवार्य रूप से बनाना होगा। नवीन पासवर्ड से लॉगिन करने पर विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाऐं भरनी होंगी।
7. **जिन विद्यालयों की सूचनाऐं वेबपोर्टल पर पहले से उपलब्ध हैं वह समस्त सूचनाऐं विद्यालय को वेबपोर्टल पर दिखायी जायेंगी। विद्यालय इन सूचनाओं की वर्तमान स्थिति के अनुसार अपडेट करें तथा अन्य चाही गई नवीन सूचनाओं की प्रविष्टि भी करें।**
8. विद्यालय एवं बालक–बालिकाओं के सम्बन्ध में भरी जाने वाली समस्त सूचनाऐं अंग्रेजी में ही भरी जानी हैं।
9. भरी गई सूचनाओं को लॉक करने से पहले अच्छी तरह से जॉच लें तथा अशुद्धियों को ठीक कर लें।
10. वेबपोर्टल पर आ रही किसी भी तकनीकी समस्या के सम्बन्ध में शिक्षा संकुल, जयपुर स्थित प्राइवेट स्कूल पोर्टल हेल्प सेन्टर के फोन नम्बर **0141–2719073** एवं ईमेल आईडी rajpsphelp@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।
11. विद्यालयों से प्राप्त बालक–बालिकाओं की समस्त सूचनायें केन्द्र सरकार को उपलब्ध करवायी जायेंगी। सूचनाओं के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों को वेबपोर्टल पर विद्यालय के लॉगिन में प्रदर्शित कर दिया जायेगा अतः विद्यालय अपने लॉगिन में उपलब्ध निर्देशों के अनुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त डाटा यू–डाइस में Sync किया जायेगा।
12. बालक–बालिकाओं की डाटा एन्ट्री का कार्य प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल www.rajpsp.nic.in पर दिनांक **08.09.2017** तक किया जाना आवश्यक है।

अभिभावकों हेतु सूचना

1. केन्द्र सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के आधार नम्बर चाहे गये हैं अतः अभिभावक अपने बालक/बालिका के आधार कार्ड की फोटो कॉपी सम्बन्धित विद्यालय में शीघ्र जमा करवा दें।
2. राज्य के गैर–सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत् निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत समस्त बालक–बालिकाओं (वर्तमान एवं पूर्व शैक्षिक सत्रों में प्रवेशित तथा वर्तमान में अध्ययनरत) के आधार नम्बर की जॉच सम्बन्धित विद्यालय के भौतिक सत्यापन के दौरान की जायेगी। अतः इन बालक–बालिकाओं के अभिभावक बालक/बालिका के आधार कार्ड अथवा आधार कार्ड हेतु पंजीयन की फोटो कॉपी दिनांक 05.09.2017 तक अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करवा दें।

आयुक्त
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्